

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2016 जिला-भोपाल

नि. 3615 TB/16

विरुद्ध नं 6 ग्रंड
18/10/16
विरुद्ध नं 18/10/16
प्रस्तुत
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर
303
18/10/16

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नजूल संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) वृत्त भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 31/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 07.09.2016 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

- 1- यहकि, अनावेदक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र भूमि खसरा क्रमांक 28/1/1 के रकवा 0.20 एकड़ भूमि समिति द्वारा सदस्यों को प्लॉट काटकर आंवटित किये गये हैं। जिसकी देख रेख समिति द्वारा की जाती है। उक्त भूमि से संस्था द्वारा पार्क निर्माण के लिये छोड़ी गयी भूमि पर पवनीत सिंह ने साथियों के साथ कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है जबकि आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार से समिति की भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य नहीं किया गया। जिस संबंध में आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत कर अपना पक्ष दरख्ता गया है। किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से प्रस्तुत तथा कथित दस्तावेजों पर विश्वास कर आवेदक के विरुद्ध दिनांक 08.03.2016 को आदेश पारित किया है।
- 2- यहकि, विचारण न्यायालय के आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी नजूल बैरागढ़ वृत्त भोपाल के न्यायालय में अपील प्रकरण क्रमांक 31/15-16 प्रस्तुत की गयी है। जिसमें संहिता की धारा 52 के अधीन स्थगन

अ/16

२१ जून २०१६ राज्यपाल गवालियर

११५

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्र.क्र. निगरानी-3615-पीबीआर/16

जिला- भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18-10-16	<p>आवेदक अभिभाषक उपस्थित आवेदक अभिभाषक को ग्राहयता एवं स्थगन पर सुना गया ग्राहयता के पूर्व अभिलेख का अवलोकन करना आवश्यक प्रतीत होता है अतः अभिलेख तलब हो अनावेदकगण सूचित हों </p> <p>जहां तक स्थगन का प्रश्न है सुविध संतुलन आवेदक के पक्ष में होने से तहसीलदार, नजूल बैरागढ भोपाल के प्र.क्र. 4/अ-68/15-16 ग्राम ईदगाह हिल्स आदेश दिनांक 8-3-16 का क्रियान्वयन आगामी तीन माह के लिये स्थगित किया जाता है आवेदक अभिभाषक के अनुरोध पर प्रकरण केम्प भोपाल पर नियत किया जाता है </p>	<p>पेशी दि. २६-१०-१६ केम्प भोपाल</p> <p>सदस्य</p> <p>आवेदक की ओट से युच्चा उपरोक्त कोई भी उपायित नहीं। तीन बजे पुकार क्षेत्राइ गई, ऐसे भी कोई उपायित नहीं। आते पुकार अमर पुर्वी में निरल किया जाता है।</p> <p>अद्यता</p>